निगरानी 2443-II-15

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा म•प्र•

श्री पद्मनारायण चतुर्वेदी, का॰ द्वारा आज दि॰ 3-8-15 प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म॰प्र॰ ग्वालियर

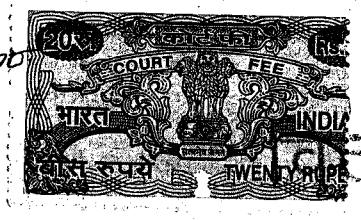

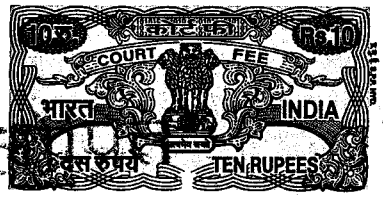

20 रु॰ कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10 रु॰ कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

सोहनलाल पाठक तनय श्री रामसूरत पाठक, सा• चिरहाई, तह• जवा, जिला रीवा म•प्र• ---- निगरानीकर्ता/आवे•

बनाम

NOTARY RAJENDRA PRASAD TIWARI Distt Rewa (M.P.) Reg. No M.P 30/01/01/2012 GOVT. OF MADHYA PRADESH (INDIA) 2450

1• रामायण प्रसाद पिता कामता प्रसाद ब्रा•, सा• चिरहाई तह• जवा जिला रीवा म•प्र•

2• मोहनलाल तिवारी पिता रामलाल तिवारी, नि• ग्राम गाढ़ा 138 तहसील जवा, जिला रीवा म•प्र• --- उत्तरवादी अना/गैर निग•गण

3.8.15 पद्मनारायण चतुर्वेदी, एड॰

प्रस्तुत किये जाने निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 23•7•15 अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म•प्र• प्रकरण क्रमांक 162/अंतरण/2014-15 बाबत निरस्त किये जाने उपरोक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•सं• 1959 ई•

===

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही निगरानी के आधार निम्न है :-

01- यह कि उपरोक्त उन्वान की अपील अनुविभागीय अधिकारी जिला रीवा त्योंथर के समक्ष लंबित है जिसकी पूर्व में पेशी दिनांक 25•7•2015 नियत थी उक्त आदेश पत्रिका के विरुद्ध अंतरण आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23•7•2015 को निरस्त कर दिया गया है।

02- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतरण निगरानीकर्ता की

ओर से [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2443–दो/15 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
01.10.15	आवेदक के अधिवक्ता श्री यज्ञनारायण चतुर्वेदी द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 162/अंतरण/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 23.7.15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । अतः प्रकरण का अन्य कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया जावे । इसी बिन्दु पर उन्होंने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो अपर आयुक्त द्वारा उनके आदेश दिनांक 23.7.15 द्वारा खारिज की गयी है । 3–मेरे द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया । चूंकि अपर आयुक्त के समक्ष जाने के समय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित था एवं दिनांक 25.7.15 को तर्क हेतु नियत था, अतः केवल आवेदक की आशंका एवं अनुमान के आधार पर यह मान्य किया जाना कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में तटस्थ रहते हुये न्याय पूर्ण निर्णय नहीं लिया जायेगा उपयुक्त नहीं होगा । पेशी दिनांक 6.7.15 तक में आवेदक के हितों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं होना बताया गया है अथवा परिलक्षित होता है,जिससे इस बात का समाधान हो कि आवेदक को अपर आयुक्त	

एवं राजस्व मण्डल में स्थानांतरण के निवेदन सहित आने की आवश्यकता थी । इस विवेचना के आधार पर मैं अपर आयुक्त द्धारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ । उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है । अतः प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।

सदस्य